बिहार सरकार
उद्योग विभाग

/पटना, दिनांक–

पत्रांकः–

संसं0– ह0क0(19) योजना (विद्युत अनुदान)–08/2023

प्रेषकः

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
बिहार, पटना ।

द्वाराः– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

अनौपचारिक रूप पर्रामशित

विषयः– वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर 3.00 रु0 प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु कुल ₹ 572.00 लाख (पाँच करोड़ बहत्तर लाख रुपये) मात्र का बजट उपबंध के अन्तर्गत ₹ 402.01 लाख (चार करोड़ दो लाख एक हजार रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार राज्यादेश सं0– 57 दि0– 15.01.2026 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के विद्युतकरघा बुनकरों को वित्तीय वर्ष 2025–26 में विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर ₹ 3.00 प्रति यूनिट विद्युत अनुदान देने की योजना हेतु ₹ 572.00 लाख (पाँच करोड़ बहत्तर लाख रुपये) मात्र का बजट उपबंध के अन्तर्गत ₹ 402.01 लाख (चार करोड़ दो लाख एक हजार रुपये) मात्र की निकासी की स्वीकृति दी जाती है।

2. राज्य में लगभग 29,000 विद्युतकरघा कार्यरत हैं। ये सघन रूप से गया, भागलपुर, बांका में है। साथ ही नालन्दा, पटना एवं प0 चम्पारण में भी विद्युतकरघा कार्यरत है।

यह योजना दिनांक–01.10.2006 के प्रभाव से सम्पूर्ण राज्य में सामान रूप से लागू है, जिसके अन्तर्गत विद्युतकरघा पर वस्त्र उत्पादन पर हुए बिजली खपत पर दिनांक–01.02.2014 से विद्युत अनुदान ₹ 1.50 (एक रुपये पचास पैसे) प्रति यूनिट के दर से बढ़ाकर ₹ 3.00 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है तथा विद्युत विपत्र में ही ₹ 3.00 प्रति यूनिट की दर से छूट दी जाएगी। **Fixed charge** में कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा। अनुदान राशि की प्रतिपूर्त्ति विद्युतकरघा बुनकरों को करने के बजाय, अनुदान राशि सीधे बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को उपलब्ध कराई जायेगी। पावर वितरण कम्पनी द्वारा वैसे विद्युतकरघा बुनकरों को, जो विद्युतकरघा पर वस्त्र बुनाई के लिए बिजली खपत करते है, उन्हें ₹ 3.00 प्रति यूनिट अनुदानित दर पर विपत्र देंगे। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना द्वारा छूट दी गई राशि का समायोजन उद्योग विभाग द्वारा इस मद में प्रदत्त अग्रिम राशि से की जायेगी। जिन विद्युतकरघा बुनकरों से विपत्र की राशि की वसूली पावर वितरण कंपनी/उनके द्वारा अधिकृत फ्रेन्चाइजी द्वारा की जायेगी उन मामलों में ही छूट की राशि का समायोजन किया जाएगा।

इस योजनान्तर्गत जिन विद्युतकरघा ईकाइयों में घरेलू एवं व्यवसायिक मीटर स्थापित हों एवं विद्युतकरघा पर यू0आई0डी0 संख्या उत्कीर्ण हों, उन्हीं विद्युतकरघा ईकाइयेां को विद्युत अनुदान देय होगा। इसकी पूर्ण जवाबदेही बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं0लि0, पटना की होगी, जो जिलावार मासिक प्रतिवेदन हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग बिहार, पटना को उपलब्ध करायेंगे।

3. उक्त राशि माँग सं0 23–उद्योग विभाग, मुख्य शीर्ष–2851 ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–108, बिजली करघा उद्योग, उप शीर्ष 0101 विद्युतकरघा योजना, विपत्र कोड– **23–2851.00.108.0101** राज्य योजना के अन्तर्गत विषय शीर्ष–0101.33.01, सब्सिडी मद से चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के आय व्ययक से विकलित होगा, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में यथेष्ट बजट उपबंध द्वितीय अनुपूरक आगणन से उपलब्ध है।

4. इस योजना में स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना होंगे, जो स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-46 पर सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से कर बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कं0लि0, पटना के पी0एल0 खाता सं0–PTSPLA016, HOA सं0-8448001200046002 में उपलब्ध करायेंगे। राशि की निकासी में वित्त विभागीय पत्रांक–8244 दिनांक– 02.08.10, पत्रांक–500 दिनांक– 18.01.2011 एवं वित्त विभागीय पत्र सं0 5539 दिनांक–24.06.2015 के कंडिका '3' में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. पी0एल0 खाताधारी पी0एल0 खाता का धन ऋण ज्ञापन (Plus ± Memorendum) रकम व्यय के सुसंगत भाउचर उपयोगिता प्रमाण पत्र के व्यय ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार, पटना को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे तथा एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो इस योजना का अनुश्रवण करेंगे।

कृ0पृ0उ0.........

7. इस योजना के कार्यान्वयन अभिकरण बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं0 लि0, पटना होंगे।
8. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–*ह0क0(19)योजना (विद्युतअनुदान)–08/2023* के पृष्ट–70/टि0 पर दिनांक– 19.02.2026 को प्राप्त है।
9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर सचिव, उद्योग विभाग की अनुशंसा संचिका संख्या–*ह0क0(19)योजना (विद्युतअनुदान)–08/2023* के पृष्ट– 70/टि0 पर दिनांक– 23.02.2026 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर माननीय मंत्री, उद्योग विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–*ह0क0(19)योजना (विद्युतअनुदान)–08/2023* के पृष्ट– 70/टि0 पर दिनांक– 27.02.2026 को प्राप्त है।
11. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–8003 वि0(2) दि0–18.09.2008 में निहित पत्रांक–2561 वि(2) दि0– 17.04.1998 के कंडिका– 2, पत्रांक–2938 वि (2) दि0–08.04.2008 के आलोक में की जायेगी तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
12. वित्त विभागीय पत्रांकः–7355/वि0(2), दिनांकः–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–*ह0क0 (19) योजना (विद्युतअनुदान)–08/2023/* पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–*ह0क0 (19) योजना (विद्युतअनुदान)–08/2023/* पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– वरीय लेखा पदाधिकारी, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–*ह0क0 (19) योजना (विद्युतअनुदान)–08/2023/* पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/पटना/गया/जिला पदाधिकारी एवं महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गया/भागलपुर/बांका/नालन्दा/पटना/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–*ह0क0 (19) योजना (विद्युतअनुदान)–08/2023/* पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कं0लि0, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/ प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर वितरण कं0लि0, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर वितरण कं0लि0, विद्युत भवन, बेली रोड, पटना/संयुक्त सचिव, उर्जा विभाग/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, बिहार, पटना/आय–व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट शाखा) (स0)/योजना शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–*ह0क0 (19) योजना (विद्युतअनुदान)–08/ 2023/* 322 पटना, दिनांक– 11/03/2026

प्रतिलिपि– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10/03/26

अपर सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।